ANTI DEATH PENALTY ASIA NETWORK

चिवोउ हो–शुन

ताइवान

© Radio Taiwan International

23 साल से अधिक से कैद, चिवोउ हो–शुन ताइवान में सबसे लम्बी अवधि तक चलने वाले आपराधिक केस में सबसे लम्बी अवधि तक हिरासत में रहने वाले आपराधिक प्रतिवादी हैं। हाल ही में केस को उनके वकीलों द्वारा ''हमारे देश के कानूनी {इतिहास} पर धब्बा'' बताया गया।

चिवोउ हो–शुन एवं उनके 10 सह–प्रतिवादियों का कहना है कि उन्हें अपराध स्वीकार करने के लिए यातना दी गई एवं हिरासत में लिए जाने के पहले चार महीनों में किसी से भी संप्रेषण करने के अधिकार से वंचित किया गया। उनसे पड़ताल एवं पूछताछ के दौरान वकील से भी वंचित किया गया।

चिवोउ हो–शुन एवं उनके सह प्रतिवादी बाद में अपने कबूलनामें से पीछे हट गये। उनकी पहली सुनवाई जिला अदालत द्वारा 1987 में घटित हुए 9 साल के लड़के लु चेंग के अपहरण व हत्या एवं कु हंग यू–लैन की हत्या के दो अलग–अलग अपराधों के जुड़े होने के मामले में की गई।

हाई कोर्ट ने स्वीकार किया कि पुलिस पूछताछ के दौरान हिंसा एवं धमकी का प्रयोग किया गया। अदालत ने सबूत से पूरे कबूलनामें को अलग नहीं किया, बल्कि उसने सिर्फ पूछताछ के टेपों के उन हिस्सों को अलग किया जहां संदिग्धों का दुर्व्यवहार अलग से सुना जा सका। कबूलनामों में प्रमुख तथ्यों पर आपसी विरोधाभास एवं विसंगतियां भी शामिल थे।

> **"मैंने किसी को नहीं मारा। न्यायाधीशों के पास यह मालूम करने का साहस क्यों नहीं है कि मैं दोषी नहीं हूं।"**
>
> चिवोउ हो–शुन

चिवोउ हो–शुन को डकैती, अपहरण एवं हत्या के लिए 1989 में मौत की सजा दी गई। 12 प्रतिवादियों में से केवल उन्हें ही मौत की सजा दी गई।

चिवोउ हो–शुन का केस हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के बीच फिर से सुनवाई के लिए 11 बार आता और जाता रहा। ताइवान में मृत्युदंड के सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट संदेहास्पद मामलों को हाई कोर्ट के पास फिर से सुनवाई के लिए वापस भेज सकता है (ऐसा असीमित बार हो सकता है) जिस दौरान बचाव पक्ष द्वारा नये सबूत पेश किये जा सकते हैं।

1994 में, लु चेंग के केस को संभाल रहे दो लोक अभियोजकों एवं 10 पुलिस अधिकारियों को यातना के माध्यम से अपराध कबूलवाने पर सजा दी गई। पुलिस ने 2003 में यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने इस तथ्य को छिपाये रखा और वे पड़ताल में विफल रहे कि मौत की सजा पाने वाले अन्य सहयोगी ने फांसी दिये जाने से ठीक पहले हत्या का अपराध कबूला था।

चिवोउ हो–शुन एवं उनके अन्य सह प्रतिवादियों को सन 2009 में हाई कोर्ट द्वारा 10वीं पुनः सुनवाई में सजा दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने पुनः आदेश दिया कि केस में त्रुटि थी और अन्य बातों पर ध्यान देते हुए, दावा किया कि सजा जबरन बयान पर आधारित थे।

अदालत ने केस को 11वीं बार फिर से सुनवाई के लिए वापस भेजा। लेकिन मई 2011 में फिर से हाई कोर्ट ने चिवोउ हो–शुन के मृत्युदंड को कायम रखा। अदालत के निर्णय के बाद, चिवोउ हो–शुन ने अदालत को कहा : ''मैंने किसी को नहीं मारा। न्यायाधीशों के पास यह मालूम

यातना/अन्य दुर्व्यवहार

क्षमादान प्रक्रिया नहीं

करने का साहस क्यों नहीं है कि मैं दोषी नहीं हूं।" 28 जुलाई 2011 को, महा अभियोजक ने पुनः सुनवाई के लिए असाधारण अपील की मांग वाले निवेदन को निरस्त कर दिया। चिवोउ हो–शुन को कभी भी फांसी दी जा सकती है।

हालांकि **ताइवान** संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, लेकिन सरकार ने घरेलू कानून नीति एवं व्यवहारों में इसके प्रावधानों को शामिल करने के लिए कानून पास करते हुए नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय अनुबंध को 2009 में मंजूर किया है। सन 2003 में दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन की व्याख्या के अनुसार कूबलनामें को अपराध के एकमात्र सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता। संहिता अदालतों को यातना के माध्यम से ली गई जानकारी को इस्तेमाल करने से रोकती है। अभी तक यह केस दिखाता है कि ऐसे सबूत पर अब भी भरोसा किया जा रहा है। क्षमादान चाहने या सजा कम करवाने के अधिकार एमनेस्टी अधिनियम में तय किये गये हैं लेकिन इसे व्यवहार में लाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। कैदियों को उनके क्षमादान के आवेदनों पर निर्णय होने से पहले ही फांसी पर लटकाया गया है। अप्रैल 2010 में, ताइवान में 2005 से लागू मृत्युदंड के निलम्बन को समाप्त करते हुए, चार कैदियों को उनके वकीलों या सम्बंधियों को जानकारी दिये बगैर ही फांसी पर लटका दिया गया। सन 2000 से, सरकार ने बार–बार मृत्युदंड को समाप्त करने की अपनी इच्छा जाहिर की है।

अभी कार्यवाही करें

न्याय मंत्री से अपील करें कि :

- जो भी न्यायिक या अन्य तरीके मौजूद हों उसके द्वारा चिवोउ हो–शुन की फांसी पर रोक लगाएं।
- यातना एवं दुर्व्यवहार के रिपोर्टों की पड़ताल करें एवं सुनिश्चित करें कि ऐसे जबरन लिये गये सभी बयानों को पुनः सुनवाई से पूरी तरह अलग किया जाए।
- सुनिश्चित करें कि चिवोउ हो–शुन की पुनः सुनवाई ऐसी कार्यवाहियों के माध्यम से हो जो कि अंतरराष्ट्रीय निष्पक्ष सुनवाई के मानकों का पालन करे।
- मृत्युदंड के पूर्ण उन्मूलन की ओर कदम बढ़ाते हुए सभी फांसी एवं मौत की सजा को निलंबित करें
- अंतरराष्ट्रीय मानको के अनुरूप निष्पक्ष सुनवाईयां सुनिश्चित करने के लिए कानूनों की समीक्षा की जाए एवं नीतियों एवं व्यवहारों में संशोधन किया जाए।
- यह सुनिश्चित करें कि जिन्हें मृत्युदंड दी गई उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप क्षमादान चाहने या सजा कम करवाने के अधिकार उपयोग करने के प्रभावी अवसर हों।

इनको लिखें:
Minister of Justice
Ministry of Justice
No. 130, Sec. 1, Chongqing S. Rd.
Zhongzheng Dist.
Taipei City 100, Taiwan
ईमेल: tyftp@mail.moj.gov.tw

ADPAN
दिसम्बर 2011
सूचकांक: ASA 01/022/2011 Hindi
www.facebook.com/groups/358635539514/

ANTI DEATH PENALTY ASIA NETWORK

ANTI DEATH PENALTY ASIA NETWORK

देविंदर पाल सिंह

भारत

© Amnesty International

देविंदर पाल सिंह (देविंदर पाल सिंह भुल्लर के नाम से भी जाने जाते हैं) को जाली दस्तावेजों पर यात्रा करने के लिए जनवरी 1995 में नयी दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (हवाई अड्डा) पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने दावा किया कि नयी दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी गिरफ्तारी के बाद, देविंदर पाल सिंह ने कबूल किया कि वह नयी दिल्ली में 1993 में हुए बम हमले में शामिल था, जिसमें 9 लोग मारे गये थे। यह बयान तब लिया गया जब उन्हें पहली बार हिरासत में लिया गया और उनको वकील उपलब्ध नहीं था।

देविंदर पाल सिंह बाद में उस बयान से यह कहते हुए मुकर गये कि "उन्हें शारीरिक रूप से बल प्रयोग किया गया, मुठभेड़ में मार डालने की धमकी दी गई और उन्हें कई सादे कागजों पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया गया।" उन्होंने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की जिसमें कथित कबूलनामें को लेने में "बल प्रयोग एवं यातना" का जिक्र है।

उच्चतम न्यायालय को दिये अपने बयान में, देविंदर पाल सिंह ने कहा कि मजिस्ट्रेट के अदालत में सुनवाई के लिए जाते समय, "उनसे कहा गया कि यदि वे अदालत में कोई बयान देते हैं तो उन्हें पंजाब पुलिस को सौंप दिया जाएगा जो कि उन्हें एक मुठभेड़ में मार देंगे।"

देविंदर पाल सिंह की सुनवाई 1987 के आतंकवाद एवं तोड़फोड़ गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (टाडा) के अंतर्गत हुई थी। इस कानून को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संगठनों द्वारा व्यापक आलोचना के बाद 1995 में समाप्त कर दिया गया क्योंकि इसका हजारों लोगों की मनमाने गिरफ्तारी, कैद में रखने एवं यातना के लिए दुरूपयोग किया गया था। इसके समाप्त होने के बावजूद, अधिनियम के तहत 1995 से पहले हुए आतंकवादी अपराधों के संदिग्ध लोगों के खिलाफ अभियोग जारी है।

> **"यह अभियुक्त के लिए है कि वह अदालत को प्रदर्शित और संतुष्ट करे कि इकबालिया बयान स्वेच्छा से नहीं लिया गया था।"**
>
> देविंदर पाल सिंह के यातना के आरोप के जवाब में उच्चतम न्यायालय की प्रतिक्रिया, मार्च 2002

देविंदर पाल सिंह के खिलाफ एकमात्र सबूत उसका बयान था जिससे वह मुकर चुका है। सामान्य भारतीय कानून के अंतर्गत, इकबालिया बयान तभी साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं यदि वे न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दिये गये हों; जबकि पुलिस को दिये गये बयान मान्य नहीं हैं। जबकि, टाडा के अंतर्गत पुलिस के दिया गया बयान सुनवाई में स्वीकार्य होता है।

देविंदर पाल सिंह को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया जिन्हें पुष्टि करना था कि बयान जबरन तो नहीं लिया गया है। जबकि, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या बयान उस खास तारीख को लिया गया था। मजिस्ट्रेट ने वास्तव में उस बयान को नहीं देखा, और सुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति की अनुमति दी।

अगस्त 2001 में, विशेष टाडा अदालत ने देविंदर पाल सिंह को आतंकवादी गतिविधि के फलरूवरूप मौत, हत्या एवं अन्य कई अपराधों के लिए षडयंत्र में लिप्त होने का दोषी करार दिया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। सामान्यतया, ट्रायल कोर्ट द्वारा दिये जाने वाले मृत्युदंड के आदेशों की, उच्चतम न्यायालय द्वारा आगे अपील की संभावना के साथ, उच्च न्यायालय

यातना / अन्य दुर्व्यवहार

विशेष अदालतें

द्वारा स्वयं ही समीक्षा की जाती है, लेकिन टाडा के अंतर्गत, अपील सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्च 2002 में, आरोप एवं मृत्युदंड की पुष्टि की गई। जबकि न्यायपीठ के तीन न्यायधीशों में से एक ने यह कहते हुए देविंदर पाल सिंह को दोषी नहीं माना कि उन्हें दोषी ठहराने के सबूत नहीं हैं एवं संदिग्ध कबूलनामें को मृत्युदंड देने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

उसके बाद की समीक्षा याचिका को उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों ने 1 पर 2 के बहुमत से दिसम्बर 2002 को खारिज कर दिया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की याचिका मई 2011 को खारिज कर दी गई लेकिन राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका को देर से निरस्त किये जाने के कारण 23 अगस्त 2011 को उच्चतम न्यायालय ने सजा को कम करने की एक याचिका स्वीकार की।

भारतीय संविधान जीवन के अधिकार की रक्षा करती है। जबकि, हत्या एवं हत्या का षडयंत्र, कुछ ड्रग्स अपराध एवं आतंकवादी विरोधी कानून के अंतर्गत अपराध सहित कई अपराध अब भी मृत्युदंड देने योग्य हैं। भारतीय अदालतें लगातार मौत की सजा देती हैं एवं 2008 के अंत तक कम से कम 345 लोग मृत्युदंड के अंतर्गत विचाराधीन थे। आखिरी फांसी 2004 में हुई थी उसके बाद सात सालों से कोई फांसी नहीं हुई है। 1992 से किसी को भी "आतंकवाद विरोधी अपराध" के कानून के तहत फांसी नहीं दी गई है लेकिन देविंदर पाल सिंह सहित आठ लोगों पर ऐसे कानूनों के अंतर्गत दोषी करार दिये जाने के बाद फांसी का खतरा बरकरार है।

अभी कार्यवाही करें

प्रधानमंत्री को अपील करें कि :

- चाहे जो भी तरीके उपलब्ध हों उसके आधार पर देविंदर पाल सिंह की फांसी पर रोक लगायें।
- अंतरराष्ट्रीय निष्पक्ष सुनवाई के मानको का पालन करते हुए देविंदर पाल सिंह की पुनः सुनवाई की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए
- उन्हें यातना दिये जाने एवं अन्य दुर्व्यवहार के शिकायतों जी छानबीन की जाए एवं सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे दबाव में लिए गये सभी बयानों को किसी पुनः सुनवाई से पूरी तरह अलग किया जाए।
- मृत्युदंड के पूर्ण उन्मूलन की ओर कदम बढ़ाते हुए सभी फांसी एवं मौत की सजा को निलंबित करें
- अंतरराष्ट्रीय मानको के अनुरूप निष्पक्ष सुनवाईयां सुनिश्चित करने के लिए कानूनों की समीक्षा की जाए एवं नीतियों एवं व्यवहारों में संशोधन किया जाए।

इनको लिखें:
Prime Minister
South Block, Raisina Hill
New Delhi 110 001
फैक्स: +9111 2301 9545
ईमेल: (फार्म के माध्यम से)
http://pmindia.nic.in/feedback.htm

ADPAN
दिसम्बर 2011
सूचकांक: ASA 01/022/2011 Hindi
www.facebook.com/groups/358635539514/

ANTI DEATH PENALTY ASIA NETWORK

ANTI
DEATH
PENALTY
ASIA
NETWORK

योंग वि कोंग
सिंगापुर

© Save Vui Kong Campaign

एक मलेशियाई नागरिक, **योंग वी कोंग** को 47 ग्राम हेरोइन रखने के लिए सिंगापुर में 2007 में 19 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था। योंग ने कम उम्र में ही स्कूल जाना छोड़ दिया था और धन कमाने के लिए छुटपुट अपराध करना शुरू कर दिया था।

सिंगापुर के ड्रग दुरूपयोग अधिनियम के अंतर्गत, 15 ग्राम से ज्यादा हेरोईन के साथ पकड़े जाने वाले सख्स को ड्रग तस्करी का दोषी माना जाता है, जिसके लिए मृत्युदंड अनिवार्य है। चूंकि योंग इस धारणा का विरोध करने में सक्षम नहीं था, इसलिए हाईकोर्ट ने 2008 में दोषी करार दिया और मौत की सजा सुनाई। अदालत के पास परिस्थितियों को हल्का करने या सजा कम करने पर विचार करने का विवेक नहीं था।

वकीलों ने उसे दोषी करार दिये जाने के खिलाफ एक अपील दाखिल किया लेकिन योंग ने यह कहते हुए अप्रैल 2009 में उसे वापस ले लिया कि उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था और अपने अपराध को स्वीकार करना चाहता था। योंग ने सिंगापुर के प्रेसिडेंट के पास अपने युवा होने के आधार पर क्षमादान के लिए याचिका दिया लेकिन नवम्बर 2009 में उसे खारिज कर दिया गया।

योंग के वकील, एम रवि ने ड्रग तस्करी के लिए अनिवार्य मृत्युदंड की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए योंग की मौत की सजा के खिलाफ अपील की है एवं वे क्षमादान प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा चाहते हैं। लेकिन मई 2010 में, कोर्ट ऑफ अपील ने ड्रग तस्करी के लिए अनिवार्य मौत की सजा पर संवैधानिक चुनौती को खारिज कर दिया। इस प्रकार की चुनौती को 1980 से तीसरी बार खारिज किया गया है।

अदालत ने निर्णय दिया कि सिंगापुर के संविधान में जीवन के अधिकार ने अमानवीय सजा पर एवं अनिवार्य मृत्युदंड पर प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है। इसने पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय कानून के नियम का खारिज किया है जो कि अनिवार्य मौत की सजा को अमानवीय सजा के तौर पर या जीवन के अधिकार के उल्लंघन को प्रतिबंधित करता है।

> **"जब हम कहते हैं कि अनिवार्य मौत की सजा का मतलब मुख्यतः न्यायाधीशों के पास विवेक नहीं होता। बस अपनी आंखे बंद करो. ..... और फांसी दे दो। व्यक्ति की पृष्ठभूमि और अन्य बातों पर नहीं देखना है।"**
>
> एम रवि, योंग वि कोंग के वकील

एम रवि की क्षमादान की प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा के लिए आवेदन का कहना है कि क्षमा देने की शक्ति को कानून मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी और उसके फलस्वरूप प्रक्रियागत निष्पक्षता के स्वीकार्य सिद्धांत को कमजोर करते हुए पक्षपातपूर्ण बना दिया गया है। उसे हाई कोर्ट द्वारा अगस्त 2010 में खारिज कर दिया गया। कोर्ट ऑफ अपील ने योंग की फांसी की राह को साफ करते हुए हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ एक अपील को अप्रैल 2011 में खारिज कर दिया।

प्रेसिडेंट कैबिनेट की सलाह के बाद ही क्षमादान प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, क्षमादान करने का उनके पास बहुत सीमित विवेक होता है। सिंगापुर में 1965 में आजादी के बाद से सिर्फ 6 बार ही फांसी की सजा के लिए क्षमादान दिया गया है।

अनिवार्य मौत की सजा

बेकसूर माने जाने के अधिकार से वंचित

सिंगापुर को काफी समय से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति फांसी फांसी दिये जाने वाले देश के तौर पर जाना जाता है, लेकिन हाल के सालों में फांसी की संख्या में कमी आई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2007 में तीन लोगों को, 2008 में 6 लोगों को, 2009 में 5 लोगों को फांसी दी गई एवं 2010 में किसी को फांसी नहीं दी गई। कम से कम 12 अपराध मृत्युदंड योग्य हैं और हत्या, देशद्रोह, गंभीर बंदूक वाले अपराध एवं ड्रग तस्करी के लिए मृत्युदंड अनिवार्य है। सिंगापुर नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय अनुबंध का पक्ष नहीं है लेकिन वह पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत जीवन के अधिकार का सम्मान करने के लिए और यातना एवं अन्य दुर्व्यवहार पर पूर्ण प्रतिबंध का अनुपालन करने को मजबूर है।

अभी कार्यवाही करें

प्रेसिडेंट को अपील भेजें कि :

- चाहे जो भी न्यायिक या अन्य तरीके उपलब्ध हों उसके आधार पर योंग वी कोंग की फांसी पर रोक लगायें।
- मृत्युदंड के पूर्ण उन्मूलन की ओर कदम बढ़ाते हुए सभी फांसी एवं मौत की सजा को निलंबित करें
- अंतरराष्ट्रीय मानको के अनुरूप निष्पक्ष सुनवाईयां सुनिश्चित करने के लिए कानूनों की समीक्षा की जाए एवं नीतियों एवं व्यवहारों में संशोधन किया जाए, खासकर जो कानून बेकसूर माने जाने के विपरीत हो।
- अनिवार्य मौत की सजा समाप्त करें।
- नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारो के अंतरराष्ट्रीय अनुबंध को मंजूरी दें।

इनको लिखें:
The President
Office of the President
Orchard Road, Istana
Singapore 0922
ईमेल: s_r_nathan@istana.gov.sg

ADPAN
दिसम्बर 2011
सूचकांक: ASA 01/022/2011 Hindi
www.facebook.com/groups/358635539514/

ANTI DEATH PENALTY ASIA NETWORK

ANTI DEATH PENALTY ASIA NETWORK

रेजा मोहम्मद शाह बिन अहमद शाह

मलेशिया

© Amnesty International

रेजा मोहम्मद शाह बिन अहमद शाह (रेजा शाह) को 14 अगस्त 2000 को कुआलालम्पुर के बाहर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि वह एक प्लास्टिक बैग ले जा रहा था और जब उन्होंने पुकारा तो उसने फेंक दिया।

पुलिस ने प्लास्टिक बैग का पता लगाया और कहा कि उसमें लगभग 800 ग्राम भांग था। रेजा शाह ने बैग के सामान के बारे में कोई जानकारी से इनकार किया और अदालत को बताया कि पुलिस ने उनकी पिटाई करके उसका पता बताने के लिए जोर दिया था।

गिरफ्तारी के बाद, रेजा शाह को ब्रिकफील्ड्स पुलिस जिला मुख्यालय में रखा गया। वह ऐसा पुलिस स्टेशन है जिस पर बार–बार यातना एवं अन्य दुर्व्यवहार के आरोप लगते रहे हैं, कुछ मामलों में तो हवालात में मौत तक हुई है।

रेजा शाह को दो साल तक बगैर सुनवाई के हिरासत में रखा गया और अंततः अगस्त 2002 में सुनवाई हुई। उन्हें कुआलालम्पुर हाई कोर्ट द्वारा खतरनाक ड्रग अधिनियम 1952 के अंतर्गत 759.3 ग्राम भांग रखने का दोषी पाया गया।

कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो खतरनाक ड्रग रखते हुए पाया जाता है ''वह उस ड्रग को रखने का दोषी माना जाएगा, जब तक कि उसका विपरीत साबित नहीं हो जाता।'' कानून यह भी कहता है कि, जब तक अन्यथा साबित न हो, व्यक्ति को ड्रग के स्वभाव के बारे में पता है। और यह माना जाता है कि जो कोई भी खतरनाक ड्रग रखे हुए पाया जाता है वह उनके तस्करी का भी दोषी है और उस पर अनिवार्य मृत्युदंड लागू होता है।

इस तरह कानून संदिग्ध को दोष साबित होने तक बेकसूर माने जाने के अधिकार का पलट देता है। कई मामलों में, न्यायाधीशों ने यह स्पष्ट करते हुए ड्रग तस्करी के लिए अनिवार्य मृत्युदंड दिया है कि उनके निर्णय, अभियोजन पक्ष के उचित संदेह से परे साबित अपराध के आधार के बजाय, पूरी तरह कानून में बेकसूर माने जाने के उलट हैं।

रेजा शाह के मामले में, एक बार ट्रायल कोर्ट ने पाया कि उसने कथित मात्रा में ड्रग रखा है तो कानून उसे तस्करी का दोषी करार देने और उसे अनिवार्य मृत्युदंड देने के अलावा अदालत के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ता, जो कि उसने किया।

सन 2006 में, पुत्रजया अपील कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बदल दिया। उसने निर्णय दिया कि अभियोजन ने यह साबित नहीं किया है कि रेजा शाह को बैग के सामान के बारे में जानकारी थी। उसने रेजा शाह को सिर्फ ड्रग रखने का दोषी करार दिया, बल्कि तस्करी का नहीं, और उसे 18 साल की कैद और 10 बेंत मारने की सजा सुनाई।

जनवरी 2009 में, फेडरल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा अपील के जवाब में, यह निष्कर्ष देते हुए अपील कोर्ट के निर्णय को पलट दिया कि रेजा शाह यह साबित रकने में विफल रहे हैं कि वे ड्रग तस्करी के दोषी नहीं हैं। उसने मृत्युदंड को बहाल कर दिया।

"अब वक्त है कि मलेशिया मृत्युदंड समाप्त करे.... कोई भी आपराधिक न्याय व्यवस्था परिपूर्ण नहीं है। आप एक आदमी का जीवन ले लेते हैं और सालों बाद, आप पाते हैं कि अन्य व्यक्ति ने अपराध किया है। आप क्या कर सकते हैं?"

नाजरी अब्दुल अजीज, मलेशियाई कानून मंत्री, 'दि ऑनलाईन सिटीजेन' की रिपोर्ट से, 31 अगस्त 2010

अनिवार्य मौत की सजा

बेकसूर माने जाने के अधिकार से वंचित

रेजा शाह के लिए अपील के लिए सारे कानूनी अवसर समाप्त हो चुके हैं। तब उसने राजा के समक्ष अपनी सजा कम करने की अपील की है। यह निर्णय लम्बित है।

अप्रैल 2011 में, **मलेशिया** के गृह मंत्री ने घोषणा किया कि 1960 से अब तक 441 लोगों को फांसी दी गई है एवं फरवरी 2011 को 696 कैदी फांसी के कतार में हैं। जिन्हें मृत्युदंड दी गई है उनमें से अधिकांश 1952 खतरनाक ड्रग अधिनियम (1952 डेंजरस ड्रग्स एक्ट) के अंतर्गत दोषी करार दिये गये हैं जिसमें ड्रग तस्करी के लिए अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान है। हत्या के लिए भी अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान है। 2009 में, मलेशिया ने संयुक्त राष्ट्र को कहा कि वह ड्रग तस्करी के लिए अधिकतम सजा को कम करके आजीवन कैद करने पर विचार कर रहा है। मलेशिया ने नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय अनुबंध या यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र समझौते को मंजूरी नहीं दी है लेकिन वह पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत जीवन से मनमाने ढंग से वंचित करने और यातना एवं अन्य दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कानूनन बाध्य है।

अभी कार्यवाही करें

राजा को अपील करें कि :

- चाहे जो भी न्यायिक या अन्य तरीके उपलब्ध हों उसके आधार पर रेजा शाह की फांसी पर रोक लगायें।
- मृत्युदंड के पूर्ण उन्मूलन की ओर कदम बढ़ाते हुए सभी फांसी एवं मौत की सजा को निलंबित करें
- अंतरराष्ट्रीय मानको के अनुरूप निष्पक्ष सुनवाईयां सुनिश्चित करने के लिए कानूनों की समीक्षा की जाए एवं नीतियों एवं व्यवहारों में संशोधन किया जाए, खासकर जो कानून बेकसूर माने जाने के विपरीत हो।
- अनिवार्य मौत की सजा समाप्त करें।
- नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारो के अंतरराष्ट्रीय अनुबंध को मंजूरी दें।

इनको लिखें:
King and Supreme Head of State
Istana Negara
50500 Kuala Lumpur
Malaysia
ईमेल: विदेश मंत्री के मार्फत (anifah@kln.gov.my)

ADPAN
दिसम्बर 2011
सूचकांक: ASA 01/022/2011 Hindi
www.facebook.com/groups/358635539514/

ANTI DEATH PENALTY ASIA NETWORK

ANTI DEATH PENALTY ASIA NETWORK

लेंग गुओगुआन
चीन

© Private

समुद्री खाद्य के व्यापारी **लेंग गुओगुआन**, को लायोनिंग प्रांत में डैनडोंग सिटी इंटरमिडियेट पिपुल्स कोर्ट द्वारा 16 दिसम्बर 2009 को फांसी की सजा सुनाई गई। उन पर नशीली दवाओं (ड्रग) के तस्करी में लिप्त आपराधिक गिरोह का प्रमुख होने का आरोप लगाया गया। उन्हें अनुचित सुनवाई के बाद दोषी करार दिया गया, एवं वह उनके इकबालिया बयान एवं गवाहों की गवाही पर आधारित था जो कि बाद में अपने बयान से मुकर गये या बताया कि उनके खिलाफ गवाही देने के लिए उन्हें यातना दी गई।

लेंग गुओगुआन ने हमेशा अपने आरोपों से इनकार किया है एवं उनका कहना है कि यातना दिये जाने के कारण उन्होंने इकबालिया बयान दिया। 19 जनवरी 2009 को हिरासत में लिए गये, लेंग गुओगुआन ने कहा कि विशेष पुलिस यूनिट के समक्ष पूछताछ के दौरान उन्हें तीन दिन एवं तीन रात तक यातना दी गई। तीन पुलिस अधिकारी उनके हाथ को पीठ के पीछे बांधे रहे। उनलोगों ने उनके सिर को पैरों के बीच डालकर मुक्के से मारा। बाद में, उन्होंने रोल किये गये कागज के एक सिरे को जलाया और दूसरे हिस्से को उनके नाक में डाल दिया, और आग में सांस लेने को बाध्य किये जाने तक उनके मुंह को बंद किये रखा। जनवरी 2009 से, लेंग गुओगुआन से कम से कम चार बार पूछताछ की गई और उन्हें यातना दी गई।

> “बाद में, उन्होंने रोल किये गये कागज के एक सिरे को जलाया और उनके मुंह को बंद करते हुए दूसरे हिस्से को उनके नाक में डाल दिया।”

लेंग गुओगुआन को फेंगचेंग काउंटी डिटेंशन सेंटर में 2009 से कैद रखा गया है। उन्हें पहले झूठे नाम (चेंग डोंग) से दर्ज किया गया, जाहिर है उन्हें जहां रखा गया था वहां उनके वकील एवं उनके परिवार को पहुंचने से रोकने की कोशिश थी। जब उनके स्थान का पता लगा तो, उन्हें उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई।

उनके परिवार ने उनके प्रतिनिधित्व के लिए चार अलग अलग वकीलों को नियुक्त किया। पहले को अथॉरिटी द्वारा इस्तीफा देने को बाध्य किया गया, जबकि दूसरे एवं तीसरे को उनसे मिलने नहीं दिया गया। अंत में चौथे वकील उनसे पहली सुनवाई से पहले मिल पाये।

इस वकील ने जुलाई में डैनडोंग सिटी प्रोक्यूरेटोरेट के खिलाफ यह दावा करते हुए एवं छानबीन की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई कि उनके मुवक्किल को यातना दी गई है। अगस्त 2010 को, लायोनिंग प्रॉविंसियल प्रोक्यूरेटोरेट ने निष्कर्ष निकाला कि यातना के आरोप निराधार थे।

सुनवाई में, लेंग गुओगुआन के वकील को प्रमुख गवाहों से जिरह करने की अनुमति नहीं दी गई। जिन लोगों ने बयान दिया था, वे अपने पहले बयानों से मुकर गये। अभियोजन ने उन गवाही बयानों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिसमें दावा किया गया था वे दोषी हैं।

लायोनिंग प्रॉविंसियल हायर पिपुल्स कोर्ट में 7 दिसम्बर 2010 को हुए सुनवाई में गुओगुआन ने अदालत को अपने सिर, कलाईयों और पैरों पर निशान दिखाते हुए बताया कि ये उन्हें यातना की वजह से लगे हैं। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये 56 गवाहों में से केवल तीन को अदालत द्वारा सुना गया। 6 मई 2011 को, लायोनिंग कोर्ट ने ''तथ्यों के बारे में अस्पष्टता'' एवं ''साक्ष्य के अभाव'' के कारण लेंग गुओगुआन के केस को पुनः सुनवाई के लिए भेज दिया। उनकी पुनः सुनवाई 10 अक्तूबर 2011 को शुरू हुई।

यातना/अन्य दुर्व्यवहार

वकील के अधिकार से वंचित

चीन में, ड्रग सम्बंधित अपराधों जैसे अहिंसक अपराधों सहित कम से कम 55 अपराध मृत्युदंड वाले हैं। हर साल हजारों लोगों को फांसी दी जाती है, जो कि पूरी दुनिया में दी जाने वाली कुल फांसी की संख्या से ज्यादा है। सही संख्या गुप्त रहती है। 2007 में, सुप्रीम पिपुल्स कोर्ट ने सभी मृत्युदंड की अंतिम समीक्षा करने की शक्ति फिर से हासिल किया। वह या तो सजा को मंजूरी देता है या निचले अदालतों को पुनः सुनवाई के लिए वापस भेज देता है। अथॉरिटी ने इसके फलस्वरूप फांसियों में महत्वपूर्ण रूप से कमी बताया है, लेकिन इन दावों की पुष्टि नहीं की जा सकती। यदि सुप्रीम पिपुल्स कोर्ट मौत की सजा को मंजूरी देता है तो, फांसी पर जल्द पालन किया जाएगा। संविधान कार्यकारी को ''विशेष क्षमादान'' जारी करने की शक्ति प्रदान करती है लेकिन व्यक्तिगत रूप से क्षमादान चाहने या सजा कम करवाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। मृत्युदंड प्रदान किये गये सहित सभी सुनवाईयां निष्पक्ष सुनवाई के अंतरराष्ट्रीय मानक पूरा नहीं करती हैं। चीन में आपराधिक मामलों में करीब शत प्रतिशत सजा की दर है।

अभी कार्यवाही करें

चीनी आथॉरिटी को अपील करें कि :

- चाहे जो भी न्यायिक या अन्य तरीके उपलब्ध हों उसके आधार पर लेंग गुओगुआन की फांसी पर रोक लगायें।
- सुनिश्चित करें कि लेंग गुओगुआन की पुनः सुनवाई ऐसी कार्यवाहियों के माध्यम से हो जो कि अंतरराष्ट्रीय निष्पक्ष सुनवाई के मानकों का पालन करे, खासकर उनके समुचित कानूनी परामर्श के अधिकार के मामले में।
- यातना एवं दुर्व्यवहार के रिपोर्टों की पड़ताल करें एवं सुनिश्चित करें कि ऐसे जबरन लिये गये सभी बयानों को पुनः सुनवाई से पूरी तरह अलग किया जाए।
- मृत्युदंड के पूर्ण उन्मूलन की ओर कदम बढ़ाते हुए सभी फांसी एवं मौत की सजा को निलंबित करें।
- अंतरराष्ट्रीय मानको के अनुरूप निष्पक्ष सुनवाईयां सुनिश्चित करने के लिए कानूनों की समीक्षा की जाए एवं नीतियों एवं व्यवहारों में संशोधन किया जाए।
- यह सुनिश्चित करें कि जिन्हें मृत्युदंड दी गई उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप क्षमादान चाहने या सजा कम करवाने के अधिकार उपयोग करने के प्रभावी अवसर हों।
- नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारो के अंतरराष्ट्रीय अनुबंध को मंजूरी दें।

इनको लिखें:
President of the Liaoning Provincial Higher People's Court
Liaoningsheng Gaoji Renmin Fayuan
132 Huigongjie, Shenhequ
Shenyangshi 110013
Liaoningsheng
People's Republic of China
ईमेल: lnfy_mygt@chinacourt.org या lngfjb@126.com

ADPAN
दिसम्बर 2011
सूचकांक: ASA 01/022/2011 Hindi
www.facebook.com/groups/358635539514/

ANTI DEATH PENALTY ASIA NETWORK

ANTI DEATH PENALTY ASIA NETWORK

हकामादा इवाओ

जापान

© Private

सन 1936 में जन्में एवं पूर्व बॉक्सर, **हकामादा इवाओ** (हकामादा) को 1966 में हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 1968 में फांसी की सजा सुनाई गई।

उनकी गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने 18 अगस्त से 9 सितम्बर 1966 तक 23 दिनों के लिए गहन पूछताछ के लिए अपने अधीन रखा। उनसे बगैर रूकावट के औसतन 12 घंटे प्रतिदिन पूछताछ की गई और तीन मौकों पर उनसे 14 घंटों से ज्यादा पूछताछ की गई। उन्होंने 20 दिन बाद ''अपराध स्वीकार'' किया और तीन दिन बाद आरोपित किया गया। इस अवधि के दौरान उन्होंने कथित अपराध कबूल के लिए कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये। हकामादा ने बाद में ज्यादा कबूलनामों पर हस्ताक्षर किया, इस बार लोक अभियोजक द्वारा तैयार किये गये थे।

हकामादा सुनवाई के दौरान यह दावा करते हुए इन बयानों से मुकर गये कि हिरासत के दौरान उन्हें खाना एवं पानी से वंचित किया गया, शौचालय इस्तेमाल करने नहीं दिया गया और लातों व मुक्कों से मारा गया। अपने बहन को एक पत्र में उन्होंने लिखा कि :

''पूछताछकर्ताओं में से एक ने मेरे अंगूठे को इंकपैड पर रखा, उसे लिखित कबूलनामें की ओर खींचा और मुझे आदेश दिया 'यहां अपना नाम लिखो', मुझ पर चीखा, मेरे बाजू को ऐंठते हुए मुझे लात से मारा।''

हकामादा ने सुनवाई से पहले बचाव पक्ष के तीन अलग अलग वकीलों से संक्षेप में तीन बार बातचीत की थी। शिजुओका जिला अदालत द्वारा 1968 में सुनवाई के दौरान न्यायधीशों ने आशंका जताई कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत हकामादा के हस्ताक्षर वाले कथित इकबालिया बयान, स्वैच्छिक रूप से हस्ताक्षरित नहीं थे। इन 45 दस्तावेजों में से, केवल एक स्वैच्छिक रूप से हस्ताक्षरित लगता है और बाकी को अस्वीकार्य सबूत घोषित किया गया। उन्हें दोषी करार दिया गया और मृत्युदंड की सजा दी गई, एवं दोष व सजा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1980 में कायम रखा गया।

> **"मैं अन्य दो न्यायधीशों को राजी नहीं करवा सका कि हकामादा दोषी नहीं था इसलिए बहुमत द्वारा किये गये निर्णय के आधार पर उसे दोषी करार देना पड़ा। व्यक्तिगत तौर पर वास्तविकता यह है कि उसका जो निर्णय लिखना पड़ा वह मेरे विवेक के खिलाफ था, उस दिन के बारे में मैं अब भी कुछ सोचता हूं।"**
>
> कुमामोतो नोरिमिची, शिजुओका जिला अदालत न्यायाधीश, 2007

2007 में, शिजुओका जिला अदालत में 1968 में उन्हें मृत्युदंड देने वाले तीन न्यायधीशों में से एक कुमामोतो नोरिमिची ने कहा कि, उनका मानना है कि हकामादा बेकसूर हैं :

''इस अपराध को करने के सबूत स्वाभाविक तौर पर लगभग नहीं थे; जबकि, जांचकर्ताओं ने शुरू से ही सोचा कि वह दोषी है, इसलिए पुलिस ने यह मानते हुए जांच किया कि वे अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें हवालात में रखा गया एवं इकबालिया बयान देने को बाध्य किया गया क्योंकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।''

यह मानते हुए कि हकामादा बेगुनाह है इसके बावजूद कुमामोतो नोरिमिची को हत्या के लिए उनकी निंदा करने को बाध्य किया गया : ''मैं अपने विवेक का बोझ नहीं सह सका इसलिए एक न्यायाधीश होते हुए मैंने इस्तीफा दे दिया... मैं खुद को दोषी महसूस करता हूं।''

यातना/अन्य दुर्व्यवहार

वकील के अधिकार से वंचित

हकामादा के बचाव पक्ष के वकील ने 1981 में पुनः सुनवाई के लिए अपील किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील को 1994 में खारिज कर दिया। पुनः सुनवाई के लिए दूसरी अपील 2008 में शिजुओका जिला अदालत में प्रस्तुत की गई थी; अपील अभी भी लम्बित है।

पिछले 45 साल से ज्यादा से अपनी बेगुनाही के लिए प्रतिवाद करते हुए, हकामादा जापान में मौत की सजा पाये सबसे लम्बी अवधि वाले कैदी हैं। जापान में जिन सभी कैदियों को मौत की सजा दी जाती है उन्हें अलग–थलग रखा जाता है। उनकी बहन, उनके वकील एवं चुनिंदा समर्थकों की छोटी मुलाकात के अलावा हकामादा को पिछले 30 सालों से अलग–थलग रखा गया है। उनमें गंभीर मानसिक गिरावट के लक्षण दिखे हैं।

जापान की आपराधिक न्याय व्यवस्था सजा सुनिश्चित करने के लिए *दाइयो कांगोकु* व्यवस्था के अंतर्गत निकाले गये इकबालिया बयान पर पूरी तरह निर्भर करती है। यह व्यवस्था पुलिस द्वारा संदिग्ध को 23 दिनों तक बगैर वकील उपलब्ध कराये हिरासत में रखने एवं पूछताछ करने की अनुमति देती है। इस अवधि के दौरान इकबालिया बयान नियमित तौर पर यातना एवं अन्य दुर्व्यवहार के माध्यम से हासिल किये जाते हैं। जापान में सजा की दर 99 प्रतिशत है। देश में 19 अपराध ऐसे हैं जिनके लिए मौत की सजा दी जाती है, लेकिन व्यवहार में, हत्या के दोषी लोगों को ही मौत की सजा दी जाती है। फिलहाल 100 से ज्यादा लोग मृत्युदंड प्राप्त लोग हैं। सन 2006 एवं 2010 के बीच 37 लोगों को फांसी हुई है। सभी गोपनीय तरीके से किये गये और जिन्हें दंडित किया गया उन्हें फांसी के कुछ घंटो पहले जानकारी दी गई और उनके परिवार के सदस्यों को हो जाने के बाद बताया गया।

अभी कार्यवाही करें

न्याय मंत्री को अपील करें कि :

- चाहे जो भी न्यायिक या अन्य तरीके उपलब्ध हों उसके आधार पर हकामादा इवाओ की फांसी पर रोक लगायें।
- सुनिश्चित करें कि हकामादा इवाओ की पुनः सुनवाई ऐसी कार्यवाहियों के माध्यम से हो जो कि अंतरराष्ट्रीय निष्पक्ष सुनवाई के मानकों का पालन करे।
- यातना एवं दुर्व्यवहार के रिपोर्टों और प्रभावी कानूनी परामर्श के अधिकार से वंचित किये जाने की पड़ताल करें।
- दाइयो कांगोकु व्यवस्था को समाप्त किया जाए या पूरी पूछताक्ष की प्रक्रिया की इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डिंग पेश करने सहित इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाएं।
- मृत्युदंड के पूर्ण उन्मूलन की ओर कदम बढ़ाते हुए सभी फांसी एवं मौत की सजा को निलंबित करें।
- अंतरराष्ट्रीय मानको के अनुरूप निष्पक्ष सुनवाईयां सुनिश्चित करने के लिए कानूनों की समीक्षा की जाए एवं नीतियों एवं व्यवहारों में संशोधन किया जाए।

इनको लिखें:
Minister of Justice
1-1-1 Kasumigaseki
Chiyoda-ku
Tokyo 100-8977, Japan
फैक्स: +81 3 5511 7200 (लोक सूचना एवं विदेश सम्पर्क कार्यालय के मार्फत)

ADPAN
दिसम्बर 2011
सूचकांक: ASA 01/022/2011 Hindi
www.facebook.com/groups/358635539514/

ANTI DEATH PENALTY ASIA NETWORK

ANTI DEATH PENALTY ASIA NETWORK

हंफ्रे जेफरसन एजिक एलिवेक इंडोनेशिया

© Private

नाइजिरिया के **हंफ्रे जेफरसन एजिक एलिवेक** (जेफ) को ड्रग अपराधों के लिए 2003 में गिरफ्तार किया गया और 2004 में मौत की सजा सुनाई गई।

जेफ को उनके द्वारा संचालित किये जाने वाले रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी द्वारा इस्तेमाल किये गये कमरे में पुलिस को 1.7 किलोग्राम हेरोइन पाये जाने के बाद उन्हें ड्रग रखने के लिए 2 अगस्त 2003 को जकार्ता में गिरफ्तार किया गया।

उन पर ड्रग्स के आयात, निर्यात, बिक्री एवं तस्करी से सम्बंधित अपराधों के लिए आरोपित किया गया, जिनके लिए मृत्युदंड की संभावना होती है। जबकि जेफ को गिरफ्तारी, पूछताछ एवं हवालात में रखे जाने के समय वकील उपलब्ध नहीं कराया गया था। उन्हें नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय अनुबंध की धारा 14 और इंडोनेशिया की अपराध प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन करते हुए उन्हें कुल पांच महीनों तक बगैर कानूनी प्रतिनिधित्व के हिरासत में रखा गया। इंडोनेशिया की अपराध प्रक्रिया संहिता वकील द्वारा सहायता किये जाने और सम्पर्क करने की गारंटी देती है। इंडोनेशिया ने आईसीसीपीआर को 2006 में मंजूरी दी है।

> **"नाइजिरिया के काली चमड़ी वाले लोगों पर पुलिस द्वारा निगरानी रखी जाती है क्योंकि वे इंडोनेशिया में ड्रग तस्करी के संदिग्ध होते हैं।"**
>
> हंफ्रे जेफरसन के केस में सुनवाई के निर्णय की संक्षिप्त व्याख्या

जेफ ने दावा किया है कि पूछताछ के दौरान उन्हे बार बार पीटा गया। उन्होंने कहा कि उनके पूछताछकर्ताओं ने उन्हें धमकी दी थी कि यदि वह हेरोइन रखने के कबूलनामें पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है या वह दूसरों को फंसाने से इनकार करता है तो वे उसे गोली मार देंगे। जबकि, अप्रैल 2004 के सुनवाई रिकार्ड प्रदर्शित करते हैं कि जेफ ने बताया कि उनके साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की गई थी।

सुनवाई के निर्णय में शामिल है कि ''नाइजिरिया के काली चमड़ी वाले लोगों'' पर पुलिस द्वारा निगरानी रखी जाती है क्योंकि वे इंडोनेशिया में ड्रग तस्करी के संदिग्ध होते हैं। इससे सुनवाई प्रक्रिया की निष्पक्षता के बारे में आशंका उठती है। आईसीसीपीआर की मांग है कि हर किसी को योग्य, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष एवं सार्वजनिक सुनवाई के अवसर दिये जाएं। आईसीसीपीआर राज्यों पर स्पष्ट दायित्व तय करती है कि वे नस्ल, रंग, एवं राष्ट्रीयता या सामाजिक उत्पत्ति सहित ''किसी प्रकार के भेदभाव बगैर'' सभी व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान एवं सुरक्षा करे।

जेफ को सेंट्रल जकार्ता जिला अदालत द्वारा ड्रग्स रखने एवं बेचने का दोषी करार दिया गया और अप्रैल 2004 में मौत की सजा सुनाई गई। उनके दोषसिद्धि एवं सजा को हाई कोर्ट द्वारा जून 2004 में एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवम्बर 2004 में कायम रखा गया।

नवम्बर 2004 में, जेफ के रेस्टोरेंट के पूर्व मालिक चार्ल्स कानु, उर्फ केली ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उसने रेस्टोरेंट में ड्रग्स रखवाने की व्यवस्था करायी थी ताकि जेफ गिरफ्तार हो एवं उसे सजा मिले। हालांकि बाद में जेल में उनकी मौत हो गई, लेकिन कई लोगों ने बयान दिया कि ड्रग के आरोप में जेल में रहने के दौरान चार्ल्स कानु ने जो इकबालिया बयान दिया था वे उसके गवाह हैं। ऐसे गवाही बयान जेफ के केस को सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा के लिए अपील करने के हिस्से बने, जबकि अपील सितम्बर 2007 में खारिज

यातना / अन्य दुर्व्यवहार

वकील के अधिकार से वंचित

कर दी गई। उसी साल अदालत ने ड्रग अपराधों के लिए मृत्युदंड की संवैधानिकता को कायम रखा।

फिलहाल जेफ नुसा कामबंगन जेल में रखे गये है और फांसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने प्रेसिडेंट से क्षमादान की मांग नहीं की है क्योंकि उनका मानना है कि वे बेकसूर हैं और जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं उसके लिए क्षमा नहीं चाहिए।

इंडोनेशिया द्वारा आपराधिक संहिता में यातना को दंडनीय अपराध बनाना अभी बाकी है।

इंडोनेशिया में 100 से ज्यादा मौत की सजा पाये लोग हैं; उनमें से आधे ड्रग तस्करी के दोषी हैं; उनमें से कई विदेशी नागरिक हैं। दस लोगों को 2008 में फांसी दी गई जबकि पिछले दशक में 11 लोगो को फांसी दी गई थी। कम से कम 7 लोगों को 2010 में मृत्युदंड दिया गया, लेकिन 2008 से कोई फांसी दर्ज नहीं की गई है। अगस्त 2010 में क्षमादान कानून में संशोधन किया गया, ताकि जिन्हें मृत्युदंड मिले वे अंतिम निर्णय के एक साल के अंदर सिर्फ एक बार प्रेसिडेंट से क्षमादान की अपील कर सकें। संविधान में यातना प्रतिबंधित है, लेकिन पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर यातना दी जाती है और जबरन कबूलनामों पर लगातार अदालत में भरोसा किया जाता है। जिन्हें मृत्युदंड वाले अपराधों के अंतर्गत आरोपित किया जाता है उन्हें सुनवाई के पहले 231 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। देश में न्यायपलिका में व्याप्त भ्रष्टाचार एव आजादी के अभाव के बारे में गंभीर आशंकाएं हैं।

अभी कार्यवाही करें

अटॉर्नी जनरल को अपील करें कि :

- चाहे जो भी न्यायिक या अन्य तरीके उपलब्ध हों उसके आधार पर हंफ्रे जेफरसन एजिक एलिवेक की फांसी पर रोक लगायें।
- सुनिश्चित करें कि हंफ्रे जेफरसन एजिक एलिवेक की पुनः सुनवाई ऐसी कार्यवाहियों के माध्यम से हो जो कि अंतरराष्ट्रीय निष्पक्ष सुनवाई के मानकों का पालन करे।
- यातना को दंडनीय अपराध बनाया जाए, यातना एवं दुर्व्यवहार के सभी रिपोर्टों की पड़ताल करें एवं सुनिश्चित करें कि ऐसे जबरन लिये गये सभी बयानों को किसी पुनः सुनवाई से पूरी तरह अलग किया जाए।
- मृत्युदंड के पूर्ण उन्मूलन की ओर कदम बढ़ाते हुए सभी फांसी एवं मौत की सजा को निलंबित करें।
- अंतरराष्ट्रीय मानको के अनुरूप निष्पक्ष सुनवाईयां सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक संहिता एवं अन्य कानूनों की समीक्षा की जाए एवं नीतियों एवं व्यवहारों में संशोधन किया जाए।

इनको लिखें:
Attorney General of the Republic of Indonesia
Jl. Sultan Hasanudin No.1
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160
Indonesia
फैक्स: +62 21 725 0213 /
+62 21 739 2576

ADPAN
दिसम्बर 2011
सूचकांक: ASA 01/022/2011 Hindi
www.facebook.com/groups/358635539514/

ANTI DEATH PENALTY ASIA NETWORK

ANTI DEATH PENALTY ASIA NETWORK

आफताब बहादुर
पाकिस्तान

© Amnesty International

आफताब बहादुर को लाहौर में 5 सिम्बर 1992 को, हत्या के संदिग्ध एक अन्य आदमी के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्हें बगैर वकील उपलब्ध कराये कई महीनों तक पुलिस हिरासत में रखा गया। बंदियों को आरोप तय होने तक अक्सर एक बार में कई सप्ताह पुलिस हिरासत में रखा जाता है एवं कई बार एक साल तक रखा जाता है। उन्हें अदालत के सामने स्वयं को बंदी बनाये जाने की वैधानिकता को चुनौती देने या जमानत चाहने के अवसर शायद ही कभी प्रदान किये जाते हैं।

जब आफताब बहादुर की अंततः 1993 में अदालत में पेशी हुई तो उसने यह दावा करते हुए निर्दोष होने की वकालत की कि पुलिस ने उन्हें अपराध देखते हुए गिरफ्तार किया था और उन्हें उंगलियो के निशान छोड़ने को बाध्य किया गया। उनके सह–प्रतिवादी गुलाम मुस्तफा ने भी दावा किया कि उन्हें यातना दी गई और उंगलियों के निशान छोड़ने को बाध्य किया गया। न्यायाधीशों ने उनके दावों को बगैर टिप्पणी के नोट किया।

आफताब बहादुर को सुनवाई के लिए सरकार द्वारा नियुक्त वकील प्रदान किया गया जो कि अपने मुवक्किल के बचाव में कोई सबूत या गवाह पेश कर पाने में विफल रहे। पाकिस्तान में सरकार द्वारा नियुक्त वकील बहुत कम प्रशिक्षित एवं कम भुगतान वाले होते हैं, और जब तक बचाव पक्ष भी उन्हे भुगतान नही करता तब तक अपने मुवक्किल का सख्ती से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते।

> **“पुलिस ने मुझे यातना दिया और उसके बाद मेरे हाथ में तेल चुपड़ने के बाद, हाथ को कमरे के हर ओर रखा और तरह इंप्रेशन लिये गये।”**
> आफताब बहादुर

आफताब बहादुर की सुनवाई तेज सुनवाई के लिए विशेष अदालत संख्या 2 के सामने लाहौर में 13 अप्रैल 1993 को हुई, उन्हें हत्या का दोषी ठहराया गया और मृत्युदंड दी गई। ये अदालत 1987 से 1994 के बीच हत्या, एवं हिंसक एवं अहिंसक राजनैतिक अपराधों सहित कुछ अनुसूचित अपराधों पर विशेष क्षेत्राधिकार के साथ संचालित हुए, उन अपराधों के लिए मौत की सजा लागू की जा सकी। ये नियमित कानूनी व्यवस्था के बाहर सेवानिवृत्त न्यायधीशों की अध्यक्षता में संचालित हुए और इनके निर्णय पर सामान्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायपीठ से बाहर विशेष सुप्रीम अपीलीय अदालत में ही अपील की अनुमति थी। इन अदालतों में आरोप तय करने के बाद सुनवाई के लिए आने वाले मामलों के लिए, सुनवाई के विस्तार के लिए एवं अपील प्रक्रिया के लिए कठोर समय सीमा तय किये जाते थे। हालांकि इन तीव्र अदालतों को स्थापित करने वाले कानून को 1994 में रद्द कर दिया गया, लेकिन इन अदालतों में किये गये सुनवाईयों के तमाम लोग अब भी कैद हैं, उनमें से आफताब बाहादुर जैसे कुछ लोग मौत की सजा प्राप्त हैं।

आफताब बहादुर ने अपनी सजा के खिलाफ सुप्रीम अपीलीय अदालत में अपील किया। उनके प्रतिनिधित्व के लिए सरकार द्वारा पुनः वकील की नियुक्ति की गई। उनका अपील आवेदन कागज के एक शीट पर बिना तारीख के है और उसमें चार सामान्य बिंदु हैं : यह कि अभियोजन उचित संदेह से परे उन्हें दोषी साबित करने में विफल रहा है; यह कि उन्हें सजा देने के लिए विश्वसनीय सबूत अपर्याप्त हैं; यह कि आफताब बहादुर बेकसूर हैं; एवं यह कि ट्रायल कोर्ट का निर्णय मनमाना एवं अनुमानों पर आधारित है।

यातना / अन्य दुर्व्यवहार

विशेष अदालतें

अपील कोर्ट ने सजा की पुष्टि की और उन्हें 27 मार्च 1994 को सजा दी गई। आफताब बहादुर द्वारा प्रेसिडेंट के समक्ष दया याचिका 2010 में दाखिल किया गया। वे लाहौर जेल में कैद हैं।

पाकिस्तान में अदालत किशोरों सहित काफी संख्या में लोगों को मौत की सजा देते हैं, यह प्रेसिडेंट द्वारा 2008 में किये गये इस वादे के बावजूद है कि सभी मौत की सजाओं को क्षमादान दिया जाएगा। करीब 8000 से ज्यादा बंदी कथित रूप से मौत की सजा प्राप्त हैं, उनमें से कई सालों से हैं। मृत्युदंड अक्सर हत्या के लिए लागू किया जाता है, लेकिन इसे 30 अन्य अपराधों के लिए लागू किया जा सकता है, इनमें से कई बगैर प्राणघातक परिणाम वाले हैं जो कि नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय अनुबंध द्वारा परिभाषित ''अति गंभीर अपराधों'' के दायरे से बाहर हैं। आतंकवाद विरोधी अदालत नियमित न्याय व्यवस्था से अलग काम करती हैं जिनमें पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों को व्यापक शक्ति उपलब्ध होती है। न्यायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार, न्यायिक आजादी का अभाव, एवं भेदभाव प्रक्रिया सहित प्रणालीगत समस्याएं मौजूद हैं।

अभी कार्यवाही करें

प्रेसिडेंट को अपील करें कि:

- चाहे जो भी न्यायिक या अन्य तरीके उपलब्ध हों उसके आधार पर आफताब बहादुर की फांसी पर रोक लगायें।
- यातना एवं दुर्व्यवहार के सभी दावों की पड़ताल करें एवं सुनिश्चित करें कि ऐसे जबरन लिये गये सभी बयानों को पुनः सुनवाई से पूरी तरह अलग किया जाए।
- सुनिश्चित करें कि पुनः सुनवाई नियमित अदालतो में ऐसी कार्यवाहियों के माध्यम से हो जो कि अंतरराष्ट्रीय निष्पक्ष सुनवाई के मानकों का पालन करे।
- मृत्युदंड के पूर्ण उन्मूलन की ओर कदम बढ़ाते हुए सभी फांसी एवं मौत की सजा को निलंबित करें।
- नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारो के अंतरराष्ट्रीय अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों का पूर्णतया पालन करें और अंतरराष्ट्रीय मानको के अनुरूप निष्पक्ष सुनवाईयां सुनिश्चित करने के लिए कानूनों की समीक्षा की जाए एवं नीतियों एवं व्यवहारों में संशोधन किया जाए।

इनको लिखें:
President of Pakistan
Pakistan Secretariat
Islamabad
Pakistan
फैक्स: +92 5192 04974

ADPAN
दिसम्बर 2011
सूचकांक: ASA 01/022/2011 Hindi
www.facebook.com/groups/358635539514/

ANTI DEATH PENALTY ASIA NETWORK